

29/11/25

पत्रां वेश कुरी। कोई भी इफा नहीं हुआ अल
हवा अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज
क्रिया जा युका है। अतः प्राण पत्र 212 PAM
अ चत्वाने का कोई औचित्य नहीं है। प्राण
पत्र 212 PAM इसी स्वरूप खारिज क्रिया
जाता है। पत्रां ईसल शुमार होकर दारिखत
दफ्तर हो।

